राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
अकेलगढ़ रावतभाटा रोड, कोटा 324010

फोन (0744)–.2473003 फेक्स (0745)–2473033

क्र0: एफ(2)/प्रबंध मण्डल–47(विशेष)/2025/8715-32 दिनांकः 10/3/25

माननीय सदस्य,
प्रबंध मण्डल,
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,
कोटा

विषय : प्रबंध मण्डल की 47वीं विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण अंतिम रूप से प्रेषित करने बाबत्।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की प्रबंध मण्डल की 47वीं विशेष बैठक दिनांक 18 फरवरी,2025 (मंगलवार) को हाइब्रिड मोड (ऑन लाइन/ऑफ लाइन) में सम्पन्न हुई थी, के कार्यवाही विवरण आपके अवलोकन एवं सुझावों, यदि कोई हो के लिए पत्र संख्या 8432 दिनांक 25.02.2025 से आपको प्रेषित किया गया था।

उक्त कार्यवाही विवरण पर प्राप्त सुझावों के अनुसार 47वीं प्रबंध मण्डल की विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण संशोधित करते हुए अंतिम रूप से जारी कर आपको प्रेषित किये जा रहे है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

कुलसचिव एंव सचिव
प्रबंध मण्डल

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल बैठक

कार्यवाही विवरण

बैठक संख्या	: 47वीं बैठक (विशेष)
स्थान	: हाईब्रिड मोड (ऑन लाईन/ऑफ लाईन)
दिनांक	: 18 फरवरी 2025 (मंगलवार)
समय	: प्रात : 11.30 बजे

दिनांक 18.02.2025 को सम्पन्न हुई राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के प्रबंध मण्डल की 47वीं विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण

माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 18.02.2025 को सम्पन्न हुई राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की प्रबंध मण्डल की 47वीं विशेष बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहेः–

1. श्री संदीप शर्मा	सदस्य
2. डॉ. ललित मीना	सदस्य
3. श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत	सदस्य (प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, वित्त)
4. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा	सदस्य (प्रतिनिधि,प्रमुख शासन सचिव, तक0शि0)
5. श्री संजीव बिहारी	सदस्य
6. श्री अंशु कुमार सहगल	सदस्य
7. प्रो. डी.के. पलवलिया	सदस्य
8. प्रो. अजय बिन्दलिश	सदस्य
9. प्रो. मनीषा व्यास	सदस्य
10. डॉ. शरद माहेश्वरी	सदस्य
11. डॉ. हरीश शर्मा	सदस्य
12. डॉ. संजु तंवर	सदस्य
13. श्रीमति मनीषा तिवारी	सचिव
14. श्री बाबू लाल मीना, वित्त नियंत्रक	विशेष आमंत्रित
15. प्रो. विवेक पान्डे, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित
16. प्रो. दिनेश बिरला, डीन एफ.ए.	विशेष आमंत्रित
17. प्रो. संदीप पाराशर, डीन रिसर्च	विशेष आमंत्रित

सर्वप्रथम मॉ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करने के पश्चात समस्त माननीय सदस्यों द्वारा राष्ट्रगान का गायन किया गया तत्पश्चात सचिव, प्रबंध मण्डल द्वारा माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय से आज्ञा लेने के पश्चात बैठक की कार्यसूची विधिवत रूप से प्रारम्भ की गई।

प्र.म. 47.01 **प्रबंध मण्डल के नये सदस्यों का स्वागत एवं निवर्तमान सदस्यों के योगदान की सराहना।**

डा. भानु प्रकाश येटूरू, प्रमुख शासन सचिव, श्री अंशु कुमार सहगल, निदेश तकनीकी शिक्षा विभाग, जोधपुर, श्रीमती मनीषा तिवारी, कुलसचिव, प्रो. अजय बिन्दलिश, प्रो. डी.के. पलवलिया, प्रो. मनीषा व्यास, का स्वागत किया जाता है। डा. आरूषी मलिक, प्रमुख शासन सचिव श्री संत कुमार चौधरी, श्री सुबीर कुमार, प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, श्रीमती दीप्ति रामचन्द्र मीना, कुलसचिव, प्रो. दिनेश बिरला, प्रो. ए. के. द्विवेदी, प्रो. आर.एस. मीना, प्रो. जे. के. शर्मा द्वारा दिये गये योगदान की सराहना की जाती है। प्रबंध मण्डल के सदस्यों की वर्तमान सूची माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत है। **(अनुलग्नक 47.1 पृष्ठ 1–2)**

संकल्प **माननीय सदस्यों द्वारा सूची का अवलोकन किया गया।**

प्र.म. 47.02 **दिनांक 23 दिसम्बर 2023 को हुई प्रबंध मण्डल की 45 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना। (अनुलग्नक 47.02 पृष्ठ संख्या 03–15)**

उक्त कार्यवाही विवरण प्रबंध मण्डल की 46वीं बैठक में प्रस्ताव स्थगित किये जाने के फलस्वरूप पुनः माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प **माननीय सदस्यों द्वारा प्रबंध मण्डल की 45वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।**

प्र.म. 47.03 **दिनांक 23 दिसम्बर 2023 को हुई प्रबंध मण्डल की 45 वीं बैठक की कार्यपालना रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ**

अनुसूची संख्या	विवरण	की गई कार्यवाही
प्र.म. 45.01	प्रबंध मण्डल के सदस्यों की सूची।	अवलोकन किया गया
प्र.म. 45.02	दिनांक 18 मई 2023 को हुई प्रबंध मण्डल की 44 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना।	अनुमोदन किया गया
प्र.म. 45.03	दिनांक 18 मई 2023 को हुई प्रबंध मण्डल की 44 वीं बैठक की कार्यपालना रिपोर्ट पारित करना।	अनुमोदन किया गया
प्र.म. 45.04	दिनांक 17.10.2023 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की 29वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।	अनुमोदन किया गया
प्र.म. 45.05	विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त/सेवारत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों के Rajasthan Technical University GPF-Linked Pension Regulations, 2023 तथा Rajasthan Technical University General Provident Fund Regulations, 2023 अनुमोदन बाबत्।	पत्र संख्या 8057 दिनांक 29.12.2023 से संयुक्त शासन सचिव, त.शि. जयपुर को प्रेषित किया गया। **(अनुलग्नक 47.3 पृष्ठ संख्या 16)**
प्र.म. 45.06	Policy for forwarding the applications for employment elsewhere for Rajasthan Technical University, Kota teaching and non-teaching employees.	आंशिक संशोधन उपरान्त संपुष्टि की गई।
प्र.म.45 T.1	दिनांक 15.12.2023 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद की 38वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन हेतु।	अनुमोदन किया गया
प्र.म.45 T(R) 1	संघटक महाविद्यालयों के शिक्षकों को छठे वेतनमान के अंतर्गत आयोजित स्क्रीनिंग सह मूल्यांकन समिति की अनुशंषाओं की कियान्वित संपुष्टि हेतु।	संपुष्टि की गई

प्र.म.45 T(R) 2	विश्वविद्यालय के शिक्षकों को छठे वेतनमान के अंतर्गत आयोजित स्क्रीनिंग सह मूल्यांकन समिति की अनुशंषाओं की क्रियान्विति संपुष्टि हेतु।	संपुष्टि की गई

उक्त कार्यपालना रिपार्ट प्रबंध मण्डल की 46वीं बैठक में प्रस्ताव स्थगित किये जाने के फलस्वरूप पुनः माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प **माननीय सदस्यों द्वारा प्रबंध मण्डल की 45वीं बैठक की कार्यपालना रिपोर्ट अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।**

प्र.म. 47.04 दिनांक 20.06.2024 को सम्पन्न हुई राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के प्रबंध मण्डल की 46वीं नियमित बैठक की कार्यपालना रिपोर्ट

अनुसूची संख्या	विवरण	की गई कार्यवाही
प्र.म. 46.01	प्रबंध मण्डल के नये सदस्यों का स्वागत एवं निवर्तमान सदस्यों के योगदान की सराहना।	अवलोकन किया गया
प्र.म. 46.02	दिनांक 23 दिसम्बर 2023 को हुई प्रबंध मण्डल की 45 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना। (अनुलग्नक 46.02 पृष्ठ संख्या 03 से 14)	46वीं प्रबंध मण्डल की बैठक में प्रस्ताव स्थगित किये जाने के फलस्वरूप 47वीं प्रबंध मण्डल में पुनः रखा गया है।
प्र.म. 46.03	दिनांक 23 दिसम्बर 2023 को हुई प्रबंध मण्डल की 45 वीं बैठक की कार्यपालना रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ	46वीं प्रबंध मण्डल की बैठक में प्रस्ताव स्थगित किये जाने के फलस्वरूप 47वीं प्रबंध मण्डल में पुनः रखा गया है।
प्र.म. 46.04	दिनांक 17.05.2024 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद की 39वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन। (अनुलग्नक 46.04 पृष्ठ संख्या 16 से 43)	प्रबंध मण्डल के निर्णयानुसार विद्या परिषद की 39वीं बैठक के दीक्षान्त समारोह से संबंधित प्रस्ताव के अतिरिक्त प्रस्ताव प्रबंध मण्डल में पुनः रखे गये है।
प्र.म. 46.05	वर्ष 2022 एवं 2023 में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी. एचडी. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को त्रयोदश दीक्षान्त समारोह में उपाधि अनुग्रहित करने के क्रम में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
प्र.म. 46.06	त्रयोदश दीक्षान्त समारोह में कुलाधिपति स्वर्ण पदक व कुलपति स्वर्ण पदक, योग्य छात्रों को प्रदान किये जाने का अनुमोदन।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
प्र.म. 46.07	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023 अनुमोदन करने हेतु	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
प्र.म. 46.08	कार्यालय आदेश संख्या आरटीयू/ वीसीएस/एफ(1) 2023/3554–58 दिनांक 25.07.2023 की निरन्तरता में गठित समिति द्वारा विश्वविद्यालय झण्डे की डिजाईन प्रस्तुत कर दी गई है। (अनुलग्नक 46.08 पृष्ठ संख्या 47–49)	46वीं प्रबंध मण्डल की बैठक में प्रस्ताव स्थगित किये जाने के फलस्वरूप 47वीं प्रबंध मण्डल में पुनः रखा गया है।
प्र.म. 46.09	भारतीय विदेशी नागरिक (OCI)/विदेशी नागरिकों/भारतीय श्रमिकों के बच्चों के लिए अतिरिक्त सीटों का प्रावधान	46वीं प्रबंध मण्डल की बैठक में प्रस्ताव स्थगित किये जाने के फलस्वरूप 47वीं प्रबंध मण्डल में पुनः रखा गया है।
प्र.म.(आर)46.01	एम.एल.वी. टेक्टाईल एंड इंजी. कॉलेज भीलवाडा में कार्यरत प्रदर्शकों को दिये जाने वाले शीलकालीन एवं	46वीं प्रबंध मण्डल की बैठक में प्रस्ताव स्थगित किये जाने के फलस्वरूप 47वीं प्रबंध मण्डल में पुनः रखा गया है।

	ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा 30 उपार्जित अवकाश के स्थान पर 15 उपार्जित अवकाश दिये जाने बाबत्।	
प्र.म.(आर)46.02	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम 2006 की धारा 17 (ii) के तहत डॉ. दिनेश बिरला, प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल्स इंजी. विभाग को डीन स्टूडेंट वेलफेयर पद पर नामित करने बाबत्।	46वीं प्रबंध मण्डल की बैठक में प्रस्ताव स्थगित किये जाने के फलस्वरूप 47वीं प्रबंध मण्डल में पुनः रखा गया है।
प्र.म.(आर)46.03	अभियांत्रिकी महाविद्यालय भरतपुर के 03 नियमित संकाय सदस्यों के सीएएस (एजीपी 7000–8000) उन्नयन/पदोन्नति की संशोधित तिथि की क्रियांन्विति संपुष्टि हेतु।	46वीं प्रबंध मण्डल की बैठक में प्रस्ताव स्थगित किये जाने के फलस्वरूप 47वीं प्रबंध मण्डल में पुनः रखा गया है।
प्र.म.(आर)46.04	अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड के शिक्षकों को सीएएस हेतु छठे वेतनमान के अंतर्गत 6000–7000 तथा 7000–8000 एजीपी हेतु स्क्रीनिंग सह मूल्यांकन समिति की अनुशंषाओं की क्रियान्विति संपुष्टि हेतु।	46वीं प्रबंध मण्डल की बैठक में प्रस्ताव स्थगित किये जाने के फलस्वरूप 47वीं प्रबंध मण्डल में पुनः रखा गया है।
प्र.म.(आर)46.05	स्वामी केशवानन्द इन्सटीटयूट ऑफ टेक्नॉलोजी, मेनेजमेंट एवं ग्रामोथन, जयपुर को शैक्षणिक सत्र 2024–25 से 2033–34 तक की अवधि के लिए स्वायत्ता दर्जा प्रदान करने की अधिसूचना की संपुष्टि हेतु प्रस्ताव।	46वीं प्रबंध मण्डल की बैठक में प्रस्ताव स्थगित किये जाने के फलस्वरूप 47वीं प्रबंध मण्डल में पुनः रखा गया है।
प्र.म.(आर)46.06	आर–केट सेंटर की स्थापना की रिपोर्ट करना।	46वीं प्रबंध मण्डल की बैठक में प्रस्ताव स्थगित किये जाने के फलस्वरूप 47वीं प्रबंध मण्डल में पुनः रखा गया है।
प्र.म.(आर)46.07	मा. ला. वर्मा टेक्सटाईल व इंजीनीयरिंग कॉलेज, भीलवाड़ा के शिक्षकों को छठे वेतनमान के अर्न्तगत आयोजित स्क्रीनिंग सह मूल्यांकन समिति तथा पाँचवे वेतनमान में सलेक्शन ग्रेड हेतु चयन समिति की अनुशंषाओं की क्रियान्वित संपुष्टि हेतु ।	46वीं प्रबंध मण्डल की बैठक में प्रस्ताव स्थगित किये जाने के फलस्वरूप 47वीं प्रबंध मण्डल में पुनः रखा गया है।
प्र.म. पू0 46.01	वित्त समिति की 30वीं बैठक दिनांक 11.06.2024 के कार्यवाही विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 के संशोधित अनुमान का अनुमोदन करने बाबत।	प्रबंध मण्डल के निर्णयानुसार दिनांक 14.08.2024 को वित्त समिति की 31वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पुनः प्रबंध मण्डल में पुनः रखा जा रहा है।

संकल्प **माननीय सदस्यों द्वारा प्रबंध मण्डल की 46वीं बैठक की कार्यपालना रिपोर्ट अवलोकन कर अनुमोदित की गई।**

प्र.म. 47.05 **दिनांक 17.05.2024 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद की 39वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन। (अनुलग्नक 47.05 पृष्ठ संख्या 17–28)**

उक्त कार्यवाही विवरण प्रबंध मण्डल की 46वीं बैठक में दीक्षान्त समारोह के प्रस्तावों के अतिरिक्त सभी प्रस्ताव स्थगित किये जाने के फलस्वरूप पुनः माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प **माननीय सदस्यों द्वारा विद्या परिषद की 39वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।**

प्र.म. 47.06 **दिनांक 14.08.2024 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की 31वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना।**

दिनांक 20.06.2024 को सम्पन्न हुई प्रबंध मण्डल की 46वीं बैठक में दिये गये निर्देशों की पालना में दिनांक 14.08.2024 को 31वीं वित्त समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

अतः 31वीं वित्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। **(अनुलग्नक 47.06 पृष्ठ संख्या 29–52)**

संकल्प **माननीय सदस्यों द्वारा विद्या परिषद की 31वीं वित्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।**

प्र.म. 47.07 **कार्यालय आदेश संख्या आरटीयू/वीसीएस/एफ(1)2023/3554–58 दिनांक 25.07.2023 की निरन्तरता में गठित समिति द्वारा विश्वविद्यालय झण्डे की डिजाईन प्रस्तुत कर दी गई है। (अनुलग्नक 47.07 पृष्ठ संख्या 53–55)**

प्रबंध मण्डल की 46वीं बैठक में प्रस्ताव स्थगित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्ताव पुनः माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प **उक्त प्रस्ताव का माननीय सदस्यों द्वारा अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।**

प्र.म. 47.08 **भारतीय विदेशी नागरिक (OCI)/विदेशी नागरिकों/भारतीय श्रमिकों के बच्चों के लिए अतिरिक्त सीटों का प्रावधान**

विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के लिए आवेदन करने का इच्छुक है। ऐसी रैंकिंग के लिए अनिवार्य शर्तों में से एक "अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण" है। इस पैरामीटर में तीन उप घटक शामिल हैं :–

1. अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी/संकाय
2. अंतर्राष्ट्रीय छात्र
3. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण स्थापित करने की दिशा में पहले कदम के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रवेश देने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) की मंजूरी लेने का प्रस्ताव है, जैसा कि अनुमोदन प्रक्रिया हैंड–बुक 2024–27 के पैरा 2.9 **(अनुलग्नक 47.08.1 पृष्ठ 56–57)** में दिया गया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं :–

1. प्रारूप 3 के अनुसार "विदेशी नागरिकों/भारत के विदेशी नागरिकों ओसीआई)/खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिकों के बच्चों के लिए अतिरिक्त सीटों

की शुरूआत/निरंतरता" के लिए बोर्ड संकल्प प्रस्तुत है। **(अनुलग्नक 47.08.2 पृष्ठ 58–64)**

2. छात्र परामर्शदाता कार्यालय की स्थापना।
3. ऐसे विद्यार्थियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा शुल्क का निर्धारण।
4. राज्य प्रवेश प्राधिकरण द्वारा योग्यता के आधार पर प्रवेश नीति का निर्धारण।
5. उक्त छात्रों के प्रवेश के लिए प्रदत्त कोटा अतिरिक्त है जो कि 15 प्रतिशत तक सीमित है।
6. एआईसीटीई में आवेदन की तिथि पर पाठ्यक्रम एनबीए से मान्यता प्राप्त होना।
7. उक्त छात्रों के लिए पर्याप्त छात्रावास की सुविधाएं है।

अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण स्थापित करने/आरंभ करने के लिए, संपूर्ण प्रक्रिया के चरण 1 को पूरा करना प्रस्तावित है। इसलिए इसे निम्नानुसार अपनाने का प्रस्ताव है :–

(अ) बोर्ड पिछले तीन वर्षों में 80 प्रतिशत औसत नामांकन की पात्रता एवं अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी पाठ्यक्रमों में "ओसीआई/विदेशी नागरिकों/भारतीय श्रमिकों के बच्चों के लिए अतिरिक्त सीटों की शुरूआत" के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए विश्वविद्यालय को अधिकृत करना प्रस्तावित है।

(ब) यह विश्वविद्यालय विभागों के साथ–साथ सभी विश्वविद्यालय घटक कॉलेजों पर भी लागू किया जाना प्रस्तावित है।

(स) उक्त कोटा के तहत प्रवेश की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक सभी निर्णय और कार्यवाही करने के लिए कुलपति अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।

प्रबंध मण्डल की 46वीं बैठक में प्रस्ताव स्थगित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्ताव पुनः माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प **उक्त प्रस्ताव का माननीय सदस्यों द्वारा अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।**

प्र.म. 47.09 **माननीय राज्यपाल महोदय के पत्र संख्या एफ.34(2)/आरबी/2021/3820 दिनांक 05.07.2024 के द्वारा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के पीएचडी अध्यादेश एवं विनियमों में संशोधन करने हेतु**

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के पीएचडी अध्यादेश एवं विनियम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएचडी उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम 2022 के अनुरूप संशोधन करने का प्रस्ताव अकादमिक परिषद की दिनांक 15.5.2023 की 37 वीं बैठक के बिंदु संख्या 37.5 के संकल्प द्वारा पारित किया गया था। तत्पश्चात प्रबंध मंडल की 44 वीं बैठक दिनांक 18.5.2023 के बिंदु संख्या टी 44.1 के संकल्प द्वारा उन संशोधनों को मंजूरी दी गई थी। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम धारा 40(4) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रबंध मंडल द्वारा अनुमोदित परिवर्तनों को अनुमति हेतु माननीय

राज्यपाल एवं कुलाधिपति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा को प्रस्तुत किया गया था।

उपरोक्त संदर्भ में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा राज्य सरकार के दृष्टिकोण से अवगत कराने हेतु गठित कमेटी द्वारा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के पीएचडी अध्यादेश एवं विनियम के प्रस्तावित संशोधनो में कुछ बिंदु सम्मिलित किए जाने की अभिशंसा प्राप्त हुई है **(अनुलग्नक–47.09 पृष्ठ संख्या 65–86)**। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 40(3) में ऐसे प्रकरण में निम्न उद्धृत प्रक्रिया बताई गई है "बोर्ड को उप–धारा (2) के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित्त किसी भी प्रारूप का संशोधन करने कि शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे भागतः या पुर्णतः नामंजूर कर सकेगा या ऐसे किन्हीं भी संशोधनों के साथ, जिनका प्रबंध बोर्ड सुझाव दे, पुनर्विचार के लिए विद्या परिषद् को लौटा सकेगा"

अतः राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 40(4) के तहत उपरोक्त सिफारिशें प्रबंध मंडल के समक्ष अवलोकन एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प **माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर निर्देश प्रदान किये गये कि राजभवन से प्राप्त राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के पीएचडी अध्यादेश एवं विनियमों में संशोधन करने हेतु पुनः विद्या परिषद की बैठक में रखा जाकर संशोधित प्रस्ताव पुनः प्रबंध मण्डल की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जावे।**

प्र.म. 47.10 प्रबंधन विभाग (MBA) में पदों के सृजन और मंजूरी के लिए प्रस्ताव।

आरटीयू कोटा में प्रबंधन विभाग 2006 से सफलतापूर्वक एमबीए प्रोग्राम चला रहा है। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बीबीए प्रोग्राम लाने की एआईसीटीई की पहल पर विभाग ने माननीय कुलपति महोदय राजस्थान तकनीकी विश्वविघालय कोटा से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद शैक्षणिक सत्र 2024–25 से एक नए यूजी कोर्स बीबीए के लिए आवेदन किया है। एआईसीटीई ने 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2024–25 से बीबीए कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है **(अनुलग्नक 47.10.1 पृष्ठ संख्या 87–90)** प्रबंध मण्डल के समक्ष एआईसीटीई मानदंडों के अनुसार बीबीए कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों के सृजन बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत है।

1. प्रति वर्ष 60 छात्र/छात्राओ का प्रवेश होगा। तीनों वर्षों के लिए पाठ्यक्रम में कुल छात्र/छात्रा 180 होंगे।
2. संकाय छात्र/छात्राओ का अनुपात 1:25 के आधार पर, पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए कुल 08 संकाय सदस्यों की आवश्यकता होगी।
3. एआईसीटीई मानदंडों के अनुसार आवश्यक संकाय सदस्यों में 01 प्रोफेसर, 02 एसोसिएट प्रोफेसर और 05 सहायक प्रोफेसरो की आवश्यकता होगी।

(एआईसीटीई मानदंडों की प्रति संलग्न **अनुलग्नक 47.10.2 पृष्ठ संख्या 91–93**)

4. एक एलडीसी, एक लैब तकनीशियन और एक चतुर्थ श्रेणी व्यक्ति की आवश्यकता होगी ।

5. बीबीए कार्यक्रम के लिए पद सृजन हेतु शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों की आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं:–

S. No.	Post	Number
1	Professor	1
2	Associate Professor	2
3	Assistant Professor	5
4	LDC	1
5	Lab Technician	1
6	Class IV	1

संकल्प **माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन एवं अनुमोदन कर निर्देश प्रदान किये गये कि उपरोक्तानुसार पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव तैयार कर पत्र राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।**

प्र.म. 47.11 **विश्वविद्यालय के अनुभाग अधिकारी से सहायक कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव से उप कुलसचिव के पदों पर पदोन्नति के प्रावधान लागू करने हेतु राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (अशैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें) परिनियम 2017 में संशोधन करने के सम्बंध में।**

प्रबन्ध मडण्ल की 40वीं बैठक दिनांक 07.02.2022 के संकल्प संख्या 40.3 की अनुपालना में विश्वविद्यालय के अनुभाग अधिकारी से सहायक कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव से उप कुलसचिव के पदों पर पदोन्नति सम्बंधी प्रकरण राज्य सरकार को मार्गदर्शन हेतु विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 425 दिनांक 11.04.2022 से प्रस्ताव भिजवाया गया, **(अनुलग्नक 47.11.1 पृष्ठ संख्या 94 से 109)** जिसके क्रम में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ 3(5)(1)/तशि/2011 दिनांक 11.10.2022 से चाही गई वांछित सूचनायें/दस्तावेज विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 7206 दिनांक 10.11.2022 से प्रेषित की गई **(अनुलग्नक 47.11.2 पृष्ठ संख्या 110 से 156)**। प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक एफ 3(5)(1) तशि/2011 जयपुर, दिनांक 19.12.2022 से एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया **(अनुलग्नक 47.11.3 पृष्ठ संख्या 157)**। तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर में उक्त समिति की बैठक दिनांक 05.04.2023 को आहूत की गई। उक्त प्रकरण में समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं अनुशंषाएं राज्य सरकार के सक्षम स्तर से अनुमोदित होने के उपरान्त विश्वविद्यालय को संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ 3(5)(1) तशि/2011 जयपुर दिनांक 13.07.2023 से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है **(अनुलग्नक 47.11.4 पृष्ठ संख्या 158 से 163)**, जो निम्नानुसार है:–

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

A. वर्तमान SCHEDULE II में निम्नांकित तालिका को पृष्ठ संख्या 11 पर Administraive Officers की पंक्ति के नीचे जोड़ने की अनुशंसा की जाती है:

Administrative Officers

Sl. No.	Name of Post	Source of recruitment with percentage	Conditions of eligibility and qualifications for direct recruitment	Post from which promotion is to be made	Minimum experience and qualification for promotion	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Registrar	50% by promotion and 50% by direct recruitment	As per Schedule VII	Assistant Registrar	The qualification of DR as per the Schedule VII & atleast 8 years of service on the post mentioned in Column 5	-
2	Assistant Registrar	50% by promotion and 50% by direct recruitment	As per Schedule VII	Section Officer	The qualification of AR a s per the Schedule VII & atleast 5 years of service on the post mentioned in Column 5	-

B. वर्तमान SCHEDULE VI में पृष्ठ संख्या 20 पर क्रम संख्या 05 पर निम्नांकित तालिका को जोड़ने की अनुशंसा की जाती है:

05- Administrative Staff

S.No.	Name and Category		Composition of Promotion Committee
(a)	Deputy Registrar		Same as that for direct recruitment given in Schedule IV
(b)	Assistant Registrar		

C. वर्तमान SCHEDULE III (पृष्ठ संख्या 17) की तालिका के स्थान पर निम्नांकित तालिका को प्रतिस्थापित करने की अनुशंसा की जाती है:

Sl. No.	Name of post	Competent Authority
1	2	3
1	All post of Officer cadre to be filled by direct recruitment as well as promotion	Board of Management
2	All post of subordinate cadre to be filled by direct recruitment as well as promotion	Vice-Chancellor
3	All post of Class IV cadre	Registrar

(प्रो. संदीप कुमार पाराशर) अध्यक्ष | (जी एल शर्मा) सदस्य | (डॉ. मनीष गुप्ता) सदस्य | (वीरेंद्र कुमार वर्मा) सदस्य सचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (अशैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें) परिनियम 2017 (अनुमोदन दिनांक 18 अगस्त, 2021) के परिनियम संख्या 32 में "The Board of Management shall have power to amend, add or delete any statute of these statutes" का प्रावधान है।

अतः संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 13.07.2023 से प्राप्त अनुमोदित रिपोर्ट एवं अनुशंषाओं के अनुसार विश्वविद्यालय के अनुभाग अधिकारी से सहायक कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव से उप कुलसचिव के पदों पर पदोन्नति के प्रावधान लागू करने तथा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (अशैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें) परिनियम 2017 (अनुमोदन दिनांक 18 अगस्त, 2021) की अनुसूची II एवं VI में पदोन्नति के प्रावधान जोडने एवं अनुसूची III को प्रतिस्थापित करने हेतु प्रकरण माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प **माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव एवं राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की अनुशंषाओं का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।**

प्र.म. 47.12 वित्त विभाग (नियम अनुभाग), राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ.15(1)एफ डी/नियम/2017 दिनांक 06.10.2023 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने के संबंध में।

वित्त विभाग (नियम अनुभाग), राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 में संशोधन कर Modified Assured Career Progression (MACP) दिनांक 01.04.2023 से लागू की गई है **(अनुलग्नक 47.12 पृष्ठ संख्या 164 से 174)**। MACP सभी सरकारी कर्मचारियों Class IV, Ministerial, Subordinate, State Services and those holding isolated posts excluding posts carrying pay level above L-20 पर लागू की गई है। इसके अंतर्गत कार्मिकों को 9, 18 एवं 27 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर पूरे सेवाकाल में Three Financial Upgradations दिये जाने का प्रावधान है। MACP के अंर्तगत कार्मिकों को प्रथम एमएसीपी Same Service/Cadre में पदौन्नति पद के पे–लेवल में Financial Upgradation स्वीकृत किया है। वर्तमान में विश्वविद्यालय कार्मिकों पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के प्रावधान लागू हैं। उक्त एमएसीपी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के नियम 14 एवं 15 में संशोधन कर लागू की गई है।

इस अधिसूचना के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार, "The authority competent to make appointment on the post held by the Government Servent shall be comptetent to grant MACP."

चूंकि विश्वविद्यालय का प्रबंध मंडल नियुक्ति प्राधिकारी है, अतः विश्वविद्यालय कार्मिकों पर MACP लागू करने हेतु उक्त अधिसूचना को दिनांक 01.04.2023 से अंगीकृत करने का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प **माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 06.10.2023 के अनुसार विश्वविद्यालय में MACP को अंगीकार कर लागू किये जाने का अनुमोदन किया गया।**

प्र.म. 47.13 विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त/सेवारत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में Rajasthan Technical University GPF- Linked Pension Regulations, 2023 तथा Rajasthan Technical University General Provident Fund Regulations, 2023 को लागू करने के संबंध में वांछित आदेश जारी करने हेतु।

वित्त विभाग (नियम अनुभाग), राजस्थान सरकार, जयपुर के दोनों आदेशों क्रमांकः प.13(12)वित्त (नियम)/2021 दिनांक 20.04.2023 के द्वारा राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/विश्वविद्यालय में पुरानी पेंशन योजना (OPS)

लागू करने बाबत् निर्देश जारी हुए। विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल की 44वीं बैठक दिनांक 18.05.2023 के बिन्दु संख्या–44.4 द्वारा विश्वविद्यालय के कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने हेतु उक्त आदेश को अंगीकार (अडाप्ट) किया गया। विश्वविद्यालय की प्रबंध मण्डल की 45वीं बैठक के कार्यसूची बिन्दु 45.05 पर अनुमोदन अनुसार Rajasthan Technical University GPF- Linked Pension Regulations, 2023 तथा Rajasthan Technical University General Provident Fund Regulations, 2023 राज्य सरकार को निर्देशार्थ/आदेशार्थ प्रेषित किये गये थे। राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 22.01.2025 को प्राप्त पत्र/आदेश में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के कार्मिको के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार अपने स्तर पर निर्णय करने हेतु अवगत करवाया गया है। तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक एफ 5(92)तशि/00056 पार्ट फाइल(2) दिनांक 22.01.2025 की निरन्तरता में माननीय कुलपति महोदय द्वारा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में कार्मिकों हेतु पुरानी पेंशन योजना को विश्वविद्यालय में लागु किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग एण्ड इम्पलीमेंटेशन कमेटी का गठन आदेश संख्या 7706–11 दिनांक 25.01.2025 किया गया। उक्त कमेटी द्वारा दिनांक 11.02.2025 को बैठक आहूत कर अपनी अनुशंसाओं मे प्रबंध मण्डल के कार्यसूची बिन्दु संख्या 45.05 में Rajasthan Technical University GPF- Linked Pension Regulations, 2023 तथा Rajasthan Technical University General Provident Fund Regulations, 2023 दोनों विनियमों को लागू करने के संबंध में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के कार्मिको के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए वांछित आदेश जारी किया जाना प्रस्तावित किया है।

अतः प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प **माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन के दौरान चर्चा अनुसार पुरानी पेंशन योजना के सफल एवं सुचारू रूप से निरअवरोध संचालन हेतु विश्वविद्यालय के वित्तीय संसाधनों से अर्जित आय से वर्ष दर वर्ष पेंशन फण्ड के लिए आवश्यकतानुसार बजट का प्रावधान किया जावेगा। अतः प्रस्ताव पर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के कार्मिकों को विश्वविद्यालय के संसाधनों से पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए दोनों विनियमों यथा Rajasthan Technical University GPF- Linked Pension Regulations, 2023 तथा Rajasthan Technical University General Provident Fund Regulations, 2023 को लागू करने के संबंध में यथोचित वांछित आदेश जारी किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये साथ ही यह भी निर्देश प्रदान किये गये कि विश्वविद्यालय के कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने की कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर पर कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक द्वारा यथाशीघ्र प्रारंभ कर दी जावे।**

प्र.म.(आर)47.01 एम.एल.वी. टेक्टाईल एंड इंजी. कॉलेज भीलवाडा में कार्यरत प्रदर्शकों को दिये जाने वाले शीलकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा 30 उपार्जित अवकाश के स्थान पर 15 उपार्जित अवकाश दिये जाने बाबत्।

उपरोक्त संदर्भ में एम.एल.वी. टेक्सटाईल इंजीनियरिंग कॉलेज, भीलवाड़ा का कार्यालय आदेश क्रमांक एफ5/ग्रुप–1(जी)/2024/3942–50 दिनांक 05.02.2024 अवलोकन हेतु प्रस्तुत है। **(अनुलग्नक आर. 47.1 पृष्ठ संख्या 193)**

प्रबंध मण्डल की 46वीं बैठक में प्रस्ताव स्थगित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्ताव पुनः माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प **माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर पुष्टि की गई।**

प्र.म.(आर)47.02 राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम 2006 की धारा 17 (ii) के तहत डॉ. दिनेश बिरला, प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल्स इंजी. विभाग को डीन स्टूडेंट वेलफेयर पद पर नामित करने बाबत्।

उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में जारी कार्यालय आदेश आरटीयू/वीसीएस/एफ(1)/2024/9373–83 दिनांक 09.02.2024 माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत है। **(अनुलग्नक आर. 47.2 पृष्ठ संख्या 194)**

प्रबंध मण्डल की 46वीं बैठक में प्रस्ताव स्थगित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्ताव पुनः माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प **माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर पुष्टि की गई।**

प्र.म.(आर)47.03 अभियांत्रिकी महाविद्यालय भरतपुर के 03 नियमित संकाय सदस्यों के सीएएस (एजीपी 7000–8000) उन्नयन/पदोन्नति की संशोधित तिथि की क्रियांन्विति संपुष्टि हेतु।

अभियांत्रिकी महाविद्यालय भरतपुर के 03 नियमित संकाय सदस्य डॉ. रवि गुप्ता सह आचार्य, इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग, डॉ. बच्चू लाल गुप्ता, सह आचार्य, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं डॉ. नवीन झा, सह आचार्य, गणित के सीएएस (एजीपी 7000–8000) उन्नयन/पदोन्नति की तिथि संशोधन के लिए कुलसचिव, आरटीयू, कोटा द्वारा दिनांक 06.02.2024 को सीएएस (एजीपी 7000–8000) के लिए सीएएस समिति की मीटिंग आयोजित की गई, तथा इसकी अनुशंसा का लिफाफा माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरान्त महाविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा खोला गया एवं सीएएस (एजीपी 7000–8000) उन्नयन/पदोन्नति की संशोधित तिथि की अनुशंसा को लागू किया गया। सीएएस उन्नयन/पदोन्नति की संशोधित तिथि के कार्यालय आदेश की प्रति संलग्न। **(अनुलग्नक आर. 47.03 पृष्ठ संख्या 195)**

प्रबंध मण्डल की 46वीं बैठक में प्रस्ताव स्थगित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्ताव पुनः माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प **माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर पुष्टि की गई।**

प्र.म.(आर)47.04 **अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड के शिक्षकों को सीएएस हेतु छठे वेतनमान के अंतर्गत 6000–7000 तथा 7000–8000 एजीपी हेतु स्क्रीनिंग सह मूल्यांकन समिति की अनुशंषाओं की क्रियान्विति संपुष्टि हेतु।**

अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड के शिक्षकों को सीएएस हेतु छठे वेतनमान के अंतर्गत 6000–7000 तथा 7000–8000 नवीन एवं संशोधित एजीपी में पदोन्नति हेतु दिनांक 06.02.2024 को स्क्रीनिंग सह मूल्यांकन समिति की बैठकें आयोजित की गयी। अतः उपरोक्तानुसार स्क्रीनिंग सह मूल्यांकन समिति की सिफारिशों की क्रियान्विती हेतु महाविद्यालय के कार्यालय आदेश GECJ/2023-24/369 दिनांक 17.02.2024, GECJ/2023-24/370 दिनांक 17.02.2024, तथा GECJ/2023-24/371 दिनांक 17.02.2024 जारी किये गये हैं।
(अनुलग्नक आर. 47.04 पृष्ठ संख्या 196–198)

प्रबंध मण्डल की 46वीं बैठक में प्रस्ताव स्थगित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्ताव पुनः माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प **माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर पुष्टि की गई।**

प्र.म.(आर)47.05 **स्वामी केशवानन्द इन्सटीटयूट ऑफ टेक्नॉलोजी, मेनेजमेंट एवं ग्रामोथन, जयपुर को शैक्षणिक सत्र 2024–25 से 2033–34 तक की अवधि के लिए स्वायत्ता दर्जा प्रदान करने की अधिसूचना की संपुष्टि हेतु प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वामी केशवानन्द इन्सटीटयूट ऑफ टेक्नॉलोजी, मेनेजमेंट एवं ग्रामोथन, जयपुर को स्वायत्ता दर्जे के लिए कन्फरमेंट जारी की है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा ने अपने मौजूदा प्रावधानों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024–25 से 2033–34 तक की अवधि के लिए स्वायत्ता दर्जा प्रदान करने की अधिसूचना जारी की है। **(अनुलग्नक आर. 47.05 पृष्ठ संख्या 199)**

प्रबंध मण्डल की 46वीं बैठक में प्रस्ताव स्थगित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्ताव पुनः माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प **माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर पुष्टि की गई।**

प्र.म.(आर)47.06 आर–केट सेंटर की स्थापना की रिपोर्ट करना।

दिनांक 20.03.2023 को आर–कैट, डीओआईटी एण्ड सी, राज्य सरकार, जयपुर और आरटीयू के बीच एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए हैं (प्रति संलग्न)। बजट घोषणा के अनुसार आर–कैट डी.ओ.आई.टी. एण्ड सी को आरटीयू कोटा में आर–कैट सेंटर स्थापित करना है। इस हेतु डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन भवन आरटीयू के परिसर में स्पोक सेंटर (SPOKE Centre) की स्थापना के लिए आर–कैट और आरटीयू के बीच पांच साल की अवधि के लिए भी एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। **(अनुलग्नक आर. 47.06 पृष्ठ संख्या 200-213)**

आर–कैट ने केन्द्र की स्थापना के लिए आरएफपी जारी किया है। आरटीयू ने एमओयू के नियमों और शर्तों के अनुसार अधिसूचित स्थान आर–कैट को सौंप दिया है।

प्रबंध मण्डल की 46वीं बैठक में प्रस्ताव स्थगित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्ताव पुनः माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर पुष्टि की गई।

प्र.म.(आर)47.07 मा. ला. वर्मा टेक्सटाईल व इंजीनीयरिंग कॉलेज, भीलवाड़ा के शिक्षकों को छठे वेतनमान के अर्न्तगत आयोजित स्क्रीनिंग सह मूल्यांकन समिति तथा पाँचवे वेतनमान में सलेक्शन ग्रेड हेतु चयन समिति की अनुशंषाओं की क्रियान्वित संपुष्टि हेतु ।

विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय मा. ला. वर्मा टेक्सटाईल व इंजीनीयरिंग कॉलेज, भीलवाड़ा के शिक्षकों को सी.ए.एस. हेतु छठे सीपीसी के अंर्तगत संशोधित ग्रेड पे 7000–8000 (6 वें सीपीसी) एवं पे स्केल 12000–420–18300 (5वें सीपीसी) के अंर्तगत हेतु स्क्रीनिंग सह मूल्यांकन समिति तथा पाँचवे सीपीसी के अनुसार सी ए एस का लाभ प्रदान करने हेतु चयन समिति की बैठकें माननीय कुलपति महोदय, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की अध्यक्षता में आयोजित की गयी ।

10–12 जनवरी 2022 को आयोजित स्क्रीनिंग सह मूल्यांकन समिति की बैठकों एवं एस बी सिविल रिट पिटीशन 9266/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में डॉ. हिरेन जोशी, सहायक प्रोफेसर के समानार्थी प्रकरण में दिनांक 03.01.2024 आयोजित चयन समिति की सिफारिशों के अनुमोदनोपरांत आवश्यक क्रियान्विती हेतु निम्नांकित कार्यालय आदेश जारी कर दिये गये है : **(अनुलग्नक आर. 47.07 पृष्ठ संख्या 214–215)**

1. F.5/Gr.5(G)/01 (CAS)/2016/3472-82 dated 25.02.2022
2. F.5/Gr.5(G)/01 (CAS)/2016-Part/356-61 dated May 3,2024

उपरोक्तानुसार की गयी क्रियान्विति/जारी आदेशों को माननीय सदस्यगण प्रबंध मंडल के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

प्रबंध मण्डल की 46वीं बैठक में प्रस्ताव स्थगित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्ताव पुनः माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प **माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर पुष्टि की गई।**

प्र.म.(आर)47.08 **राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय समबद्धता विनियम–2016 में संशोधन हेतु प्रतिवेदन**

79वीं बोर्ड ऑफ इन्स्पेक्शन के एजेण्डा क्रं0 79.2 द्वारा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय समबद्धता विनियमन–2016 के नियम–5 में संशोधन अनुमोदित किया गया है **(अनुलग्नक आर. 47.8 पृष्ठ संख्या 216–220)**।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नईदिल्ली द्वारा तीन वर्षीय व पांच वर्षीय अनुमोदन विस्तार जारी किये जा रहे है जिन्हें बोर्ड ऑफ इन्स्पेक्शन द्वारा अनुमोदित किया है । अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नईदिल्ली के अनुसार ही राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय भी तीन व पांच वर्षीय सम्बद्धता अनुमोदन विस्तार जारी किये जा सकेगें।

साथ ही बोर्ड ऑफ इन्स्पेक्शन द्वारा क्यूआईवी को संस्थानानुसार रेंकिग दियें जाने का भी अनुमोदन किया गया है।

अतः प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत हैं।

संकल्प **माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर पुष्टि की गई।**

प्र.म.(आर)47.09 **बोर्ड ऑफ इन्सपेक्शन (64वीं से लेकर 78वीं तक) के कार्यवाही विवरण का प्रतिवेदन (अनुलग्नक आर. 47.9 पृष्ठ संख्या 221–272)**

79वीं बोर्ड ऑफ इन्स्पेक्शन के एजेण्डा क्रं0 79.9 द्वारा 64वीं बीओआई से लेकर 78वीं बीओआई तक के कार्यवाही विवरण अनुमोदित किये गये है।

अतः उक्त कार्यवाही विवरण प्रतिवेदन माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत हैं।

संकल्प **माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर पुष्टि की गई।**

प्र.म.(आर)47.10 विश्वविद्यालय की वार्षिक स्टेटस रिपोर्ट वर्ष 2023–24 ऑनलाइन भरने बाबत।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) की शर्तों के अनुसार विश्वविद्यालय की वार्षिक स्टेटस रिपोर्ट का डाटा विश्वविद्यालय के वैद्यानिक निकाय द्वारा अनुमोदन हेतु ऑन लाइन भरा जाना था। उपरोक्त ऑनलाइन डाटा शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिए दिनांक 21.12.2024 को भर दिया गया है। **(अनुलग्नक आर. 47.10 पृष्ठ संख्या 273–320)**

अतः विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प **माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर पुष्टि की गई।**

प्र.म.(आर)47.11 सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) गठन के आदेश व उपापन प्रक्रिया हेतु जारी आदेशों की पुष्टि किये जाने के संबंध में।

प्रबंध मंडल की 41 वीं बैठक दिनांक 23.11.2022 के बिन्दु संख्या प्र.म.टी. 41.2 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना में विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रकार के गैर–तकनीकी कार्य एवं दिन–प्रतिदिन की आवश्यकता से संबंधित कार्यो की व्यवस्था के लिए कुलसचिव (उपापन संस्था) के नियंत्रणाधीन सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव के अधीन एक सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की स्थापना की गयी जिसके लिए कार्यालय आदेश क्रमांक एफ(2)/बोम–41/2022/10728–32 दिनांक 09.02.2023 जारी किया गया (प्रति संलग्न)। इस आदेश की निरंतरता में जीएडी को सुचारू रूप से क्रियाशील बनाने व संचालित करने हेतु जीएडी प्रकोष्ठ का गठन भी आदेश क्रमांक एफ(2)/बोम–41/2022/606–11 दिनांक 20.04.2023 से किया गया तथा आदेश क्रमांक F(2)/2/2023/620-25 दिनांक 20.04.2023 से जीएडी को File Code No. F(62) आवंटित किया गया। तदुपरांत, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व नियम, 2013 के अंतर्गत जीएडी के माध्यम से उपापन किये जाने की कार्यप्रक्रिया के आदेश क्रमांक एफ(62)/जी.ए.डी. आदेश/2023–24/01/977–90 दिनांक 02.05.2023 तुरंत प्रभाव से विश्वविद्यालय में लागू किये गये तथा आदेश क्रमांक 2016–23 दिनांक 03.06.2023 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के नियम 3 के अन्तर्गत नवीन उपापन समिति गठित की गई। **(अनुलग्नक आर. 47.11 पृष्ठ संख्या 321–337)।**
अतः जीएडी के संबंध में जारी उपरोक्त सभी आदेशों को प्रबंध मंडल के माननीय सदस्यों के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प **प्रस्ताव का माननीय सदस्यों द्वारा अवलोकन कर पुष्टि की गई, साथ ही यह निर्देश प्रदान किये गये कि विश्वविद्यालय में कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार राशि रू.**

1.00 लाख तक के उपापन की समस्त कार्यवाही संबंधित कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर संपादित की जावेगी।

प्र.म.(टी) 47.1 राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति की नियुक्ति हेतु खोजबीन समिति हेतु प्रबंध मण्डल द्वारा सदस्य का चयन कर सूचना राजभवन, जयपुर प्रेषित करने संबंधी प्रस्ताव।

राजभवन, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांकः एफ.34(2)आरबी/2025/788 दिनांक 14 फरवरी 2025 में दिये गये निर्देशों की पालना में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के कुलपति चयन समिति के लिए राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अधिनियम 2006(यथा संशोधित 2013) की धारा 11 (1)(क) के अंतर्गत विश्वविद्यालय की प्रबंध मण्डल द्वारा सदस्य का चयन कर उनका नाम, पद, पता, फोन नंबर, फैक्स नंबर, एवं ई-मेल इत्यादि की सूचना राजभवन प्रेषित की जानी है। (अनुलग्नक : संलग्न)

अतः प्रस्ताव प्रबंध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प **प्रबंध मण्डल के माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से कुलपति चयन समिति में डॉ. किरण कुमार पान्ड्या का मनोनयन किया गया जिनका विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-**

1. नाम एवं पद	:	डॉ. किरण कुमार पान्ड्या
2. पता	:	प्रोवोस्ट, सार्वजनिक यूनिवर्सिटी आर.के. देसाई मार्ग, अथवालाईंस, सूरत (गुजरात) पिन कोड-395001
3. मोबाईल नंबर फैक्स नंबर	:	9427104853
4. ई-मेल	:	kiranpandya@live.in, kpcapricorn@yahoo.com

प्र.म.(टी) 47.2 डॉ. सुनील कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर , एच.ई.ए.एस. विभाग के विरूध्द नियम सी.सी.ए.17 के अंतर्गत की जांच रिपोर्ट अवलोकन एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत।

डॉ. सुनील कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर के विरूध्द नियम सी.सी.ए. 17 के अंतर्गत गठित जांच समिति की रिपोर्ट माननीय सदस्यों के समक्ष विचारार्थ एवं अग्रिम निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प **माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं सर्वसम्मति से डॉ. सुनील कुमार जैन को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की अनुशंषाओं के आधार पर आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया।**

प्र.म.(R)टी.47.01 राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम 2006 की धारा 17 (ii) के तहत प्रो. अजय बिन्दलिश, प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग विभाग को डीन स्टूडेंट वेलफेयर पद पर नामित करने बाबत्। उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में जारी कार्यालय आदेश आरटीयू/ वीसीएस/एफ (1)/2024/5723–34 दिनांक 25.10.2024 माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत है। **(अनुलग्नक आर. 47.1 पृष्ठ संख्या 4)**

संकल्प **माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर पुष्टि की गई।**

अन्य बिन्दु माननीय सदस्यों द्वारा माननीय कुलपति महोदय एवं अध्यक्ष प्रबंध मण्डल के समक्ष यह मत रखा गया कि विश्वविद्यालय एवं संघटक महाविद्यालयों के शिक्षकों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा जारी प्रावधानों एवं राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप समस्त शिक्षकों की लंबित केरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत पदौन्नति का लाभ दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाये ताकि विश्वविद्यालय एवं संघटक महाविद्यालयों के सभी पात्र शिक्षकों को लंबे समय से लंबित चल रहे केरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत पदौन्नति का लाभ मिल सके।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(प्रो. एस. के. सिंह)
कुलपति एवं अध्यक्ष
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,
कोटा

(मनीषा तिवारी)
कुलसचिव एवं सचिव
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,
कोटा